जिले में हुआ 80 एवं बड़वाह में हुआ 78.7 प्रतिशत मतदान।

16.66 प्रतिशत मत लाने पर बचेगी उम्मीदवार की जमानत

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारत कार्यक्रम के अनुसार खरगोन जिले के 06 विधानसभा क्षेत्रों से प्रतिनिधि के निर्वाचन के लिए 17 नवंबर को 1541 मतदान केन्द्रों पर मतदान कराया गया है। जिले के सभी 06 विधानसभा क्षेत्रों में 80.35 प्रतिशत मतदान हुआ है। जिला निर्वाचन कार्यालय खरगोन से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में विधानसभा क्षेत्रवार डाले गये मतों की संख्या एवं मतदान का प्रतिशत इस प्रकार हैः-

विस क्षेत्र का नाम व क्रमांक	पुरूष मतदाताओं की संख्या	महिला मतदाताओं की संख्या	अन्य मतदाता	कुल मतदाता	पुरूष मतदाता द्वारा डाले गये मत	महिला मतदाता द्वारा डाले गये मत	अन्य मतदाता द्वारा डाले गये मत	कुल मतदाता	पुरूष मतदान का प्रतिशत	महिला मतदान का प्रतिशत	अन्य मतदाता का प्रतिशत	कुल मतदान का प्रतिशत
181-भीकनगांव	125171	123665	06	248842	100207	93070	04	193281	80.06	75.26	66.67	77.67
182-बड़वाह	117506	114394	01	231901	94359	88136	00	182495	80.30	77.05	00	78.70
183-महेश्वर	113884	112891	03	226778	96145	92138	03	188286	84.42	81.62	100	83.03
184-कसरावद	120232	117882	02	238116	104409	99400	02	203811	86.84	84.32	100	85.59
185-खरगोन	122795	119985	03	242783	99529	94692	02	194223	81.05	78.92	66.67	80.00
186-भगवानपुरा	126390	126221	03	252614	99835	95940	01	195776	78.99	76.01	33.33	77.50
योग	725978	715038	18	1441034	594484	563376	12	1157872	81.89	78.79	66.67	80.35

कब होती है उम्मीदवार की जमानत जप्त

खरगोन- चुनाव में किसी उम्मीदवार की जमानत जप्त होजाना उसकी राजनैतिक प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहूंचाता है । जमानत जप्त होने का मतलब माना जाता है कि उस उम्मीदवार का क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नही है और ज्यादातर लोग उसे नापंसद करते है । चुनाव आयोग द्वारा जमानत राशी जप्त होने के एक निर्धारित मापदंड है । जिन पर खरा उतरने पर उस उम्मीदवार की जमानत जप्त होजाती है । तो आईये जानते है। चुनाव आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार की जमानत राशी कब जप्त की जाती है ।

वैध मतों का छठा हिस्सा नहीं मिलने पर होगी जमानत राशि जब्त

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चुनाव लड़ रहे वे सभी उम्मीदवार अपनी निक्षेप राशि या सुरक्षा निधि गंवा बैठेंगे जिन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुल डाले गये वैध मतों के छठवें हिस्से से कम या बराबर मत प्राप्त होंगे।

आयोग के निर्देशों के मुताबिक कुल वैध मतों के 16.66 प्रतिशत अथवा छठवें हिस्से से कम या बराबर मत मिलने पर उम्मीदवार द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ जमा की गई निक्षेप राशि जब्त कर ली जायेगी। इस राशि को उसे वापस नहीं किया जायेगा। आम बोलचाल की भाषा में इसे जमानत जब्त हो जाना कहते हैं।

निर्वाचन आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव लडने के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 10 हजार रूपए और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को 5 हजार रूपए की सुरक्षा निधि नामजदगी का पर्चा दाखिल करते वक्त जमा करानी होती है। व्यवस्था यह है कि उम्मीदवार यदि अपने विधानसभा क्षेत्र में पडे कुल वैध मतों का 16.66 प्रतिशत हिस्सा (छठवां हिस्सा) भी हासिल न कर सके तो फिर उसके लिए अपनी यह जमानत राशि बचाना मुमकिन नहीं रह जाता।

निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि 'नोटा' विकल्प के सामने डाले गये मतों को जमानत राशि लौटाने के प्रयोजनार्थ चुनाव लड रहे उम्मीदवारों को प्राप्त कुल वैध मतों की गणना में शामिल नहीं किया जायेगा।

बडवाह में 30 हजार 400 मतों से कम लाये तो होजायेगी जमानत जब्त

बड़वाह विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 231901 है । जिनमें से इस चुनाव में 182495 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया । ऐसे में किसी भी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचाने के लिये कुल वैध मतों का 6ठवा हिस्सा या 16.66 प्रतिशत या उससे कम मत लाने पर उसकी जमानत जप्त होजायेगी । इस प्रकार बड़वाह में यदि किसी उम्मीदवार को 182495 मतों में कम से कम कुल मतों का 6 ठवा हिस्सा या 16.66 प्रतिशत मत अर्थात 30415 वोट या उससे कम वोट लाने पर उसकी जमानत जप्त हो जायेगी ।

अब देखना यह है कि बड़वाह में चुनाव लड रहे उम्मीदवारों से कोन कोन उम्मीदवार हार के बावजूद अपनी जमानत बचाने में कामयाब रहते है ।